

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

आदेश

सं0सं0-02/कर माफी -01/2015 परि0

पटना, दिनांक--

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-3841दिनांक-12.09.2016 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट के एक वाहन ट्रेभलर एम्बुलेंस के कुल एकमुश्त कर 85,832/- (पचासी हजार आठ सौ बत्तीस) रूपये के कर माफी किये जाने हेतु अभिलेख संख्या-05/2016-17 दिनांक-10.08.2016 द्वारा अनुशंसा की गई है जिसकी संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :-

Sl. No.	Registration No.	Engine Number	Chasis Number	Period of Tax	Amount of Tax in Rs
1	New Vehicle Travellor Ambulance	D63026228	MC1E4CBA4GP038975	One Teme Tax	85832.00

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910 दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वातित्व वाले मोटर वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यययोजित की गई है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत संगणित कुल कर 85,832/- (पचासी हजार आठ सौ बत्तीस) रूपये की विमुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

निबंधित

*E mark*

ज्ञापांक-02/कर माफी -01/2015 परि0

6295

पटना, दिनांक- 21/10/16

प्रतिलिपि - जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय/ पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/10/16

विशेष सचिव,  
परिवहन विभाग बिहार, पटना।